ACE|No|Gen|25-26|035 10|9|2025

**JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY**
**BOARD OF SPORTS**

## अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता एवं चयन प्रक्रिया कि नियम एवं शर्ते

1. प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रविष्टियाँ आयोजक महाविद्यालय एवं एक प्रति सचिव, खेल बोर्ड को प्रतियोगिता आरम्भ होने से 03 दिन पूर्व या अन्तिम तिथि पूर्व तक भिजवाई जानी आवश्यक है।प्रतियोगिताओं की तिथियों में विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्येक टीम को विश्वविद्यालय द्वारा जारी (विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड) नवीन एलीजिबिलिटी परफोर्मा जिसमें आधार कार्ड का अंकन आवश्यक है, के साथ अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु जारी परिचय पत्र आधार कार्ड, 10वी, 10+02, स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकतालिकाएं, व शुल्क की रसीद को संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित प्रतिलिपि 2 सेट एवं मूल दस्तावेज साथ में लाना अनिवार्य है।
3. अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रत्येक पूर्णकालिक नियमित/प्रमाणिक छात्र/छात्रा को निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी।

   a. प्रतियोगिता के लिए आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष तक की आयु वाले विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे।

   b. विद्यार्थी की न्यूनतम 17 वर्ष आयु की गणना संबंधित प्रतियोगिता प्रारंभ होने की दिनांक से एवं अधिकतम 25 वर्ष आयु की गणना संबंधित शैक्षणिक सत्र की प्रथम जुलाई से की जायेगी।
4. भाग लेने वाले प्रत्येक महाविद्यालय, आयोजक महाविद्यालय को प्रतियोगिता की सूचना/निमंत्रण की प्रतीक्षा किये बिना, प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व टीम के मैनेजर/प्रशिक्षक के साथ आयोजन स्थल पर उपस्थिति देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व सायं 6 बजे मैनेजर/प्रशिक्षक की उपस्थिति में प्रतियोगिता का ड्रा निकाला जाएगा। बिना टीम मैनेजर/प्रशिक्षक के टीम को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया जायेगा।
5. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में टीम खेलों में विजेता व उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम तीन स्थानों के प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध किए जाऐंगे, जारी खेल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन आयोजन महाविद्यालयों द्वारा किया जाएगा।
6. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का प्रमाण–पत्र जिस महाविद्यालय ने प्रतियोगिता आयोजित कराई है उसी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाण–पत्र प्राचार्य एवं शारीरिक शिक्षक/प्रभारी के हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी कर सकते है। जिसका प्रमाणन आयोजक महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
7. पुरूष वर्ग में 06 एवं महिला वर्ग में 04 टीमे एवं प्रत्येक एकल खेलों में (Event/Weight Category) कम से कम 04 खिलाडियों के होने पर ही प्रतियोगिता आयोजित होगी अन्यथा ट्रायल मानी जाएगी व खेलकूद प्रमाण–पत्र देय नहीं होगा। 04 से कम खिलाडी होने पर राज्य स्तर तक भाग लिये हुए खिलाडी/खिलाडियों के होने पर ही चयन ट्रायल आयोजित करवाई जायेगी।
8. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओ में प्रतिभागियो की अधिकतम सीमा व्यक्तिगत खेलो की प्रत्येक स्पर्धाओ में दो(02) एवं बड़े टीम(फुटबॉल,हॉकी एवं क्रिकेट) खेलो में सोलह(16) निर्धारित रहेगी अन्य खेलो का निर्धारण प्रतियोगिता से पूर्व सूचित किया जायेगा।
9. आयोजक महाविद्यालयों द्वारा निर्णयन शुल्क टीम खेल 500/–रू. प्रति मैच, व्यक्तिगत खेल 800/–रू प्रति टीम(तीन या अधिक खिलाडी होने पर एक बार), एथलेटिक्स 1000/–रू प्रति टीम (एक बार) एवं तथा Equipment Fee (Ball/Shuttle etc.) की Actual Rate से लिया जायेगा। खेलकूद प्रतियोगिताओं मे भाग न लेकर केवल चयन ट्राईल देने वाले खिलाडियों से 300/–रू. प्रति छात्र (एक बार) शुल्क लिया जायेगा। निर्णयन शुल्क का उपयोग निर्णायकों को देने एवं प्रतियोगिता के अन्य खर्च में लिया जाएगा।
10. प्रतियोगिता में किसी भी तरह के विवाद, डोपिंग या अन्य किसी शिकायत (प्रोटेस्ट) हेतु 1000/–रू. प्रोटेस्ट फीस प्रतियोगिता समाप्ति से दो घण्टे पूर्व आयोजक महाविद्यालय को जमा करवाकर सूचित करना होगा। प्रोटेस्ट का निस्तारण प्रतियोगिता स्थल पर ही आयोजक महाविद्यालय द्वारा गठित प्रोटेस्ट कमेटी द्वारा किया जायेगा। वजन सम्बन्धि शिकायत वजन लेने के दौरान ही करेंगे। शिकायत की सूचना समय पर देवे। बाद में कोई विचार नहीं किया जायेगा। खेल मैदान से संबंधी प्रोटेस्ट स्वीकार्य नहीं होगा।
11. व्यक्तिगत खेलों में AIU नियमानुसार पिछले सत्रों में अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के छठवें स्थान तक के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए खिलाडियों का चयन किया जायेगा।
12. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें की जो खिलाडी महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रवेशित हो।
13. सभी प्रतियोगिताए सम्बन्धित खेल संघ एवं AIU द्वारा निर्धारित नियमानुसार आयोजित करवाई जायेगी। व्यक्तिगत खेलो में एक से ज्यादा इवेन्ट में एक ही खिलाडी के विजेता रहने पर विजेता खिलाडी को ही अन्तर वि.वि. प्रतियोगिता के लिए मौका मिलेगा। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में AIU नियमानुसार एक खिलाडी दो इवेन्ट एवं एक रिले में भाग ले सकता है।
14. Pistol Shooting, Air Rifle, Archery & Cycling एवं अन्य व्यक्तिगत खेलो में उपकरण खिलाडी के स्वयं के होंगे, ऐसा नहीं होने पर प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। Pistol Shooting & Air Rifle खेल में 25 मीटर रेंज या उससे अधिक के इवेंट में उस इवेंट की सुविधा उपलब्ध होने पर ही ट्रायल आयोजित होगी, अन्यथा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
15. Cross Country, Marathon Race, Judo, Boxing, Wushu, Wrestling व अन्य व्यक्तिगत खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों को Medical Certificate आयोजन महाविद्यालय को जमा कराना अनिवार्य है।
16. टीम रवाना होने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किए गए तिथि एवं समय पर समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। खिलाडी अपना वजन अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होने तक बनाए (Maintain) रखे।
17. किसी विद्यार्थी द्वारा अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के दौरान, विश्वविद्यालय टीम की रवानगी से पूर्व अवांछनीय व्यवहार, लडाई झगडा करते पाये जाने पर नियमानुसार महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा उन खिलाडियों का प्रवेश/चयन निरस्त कर 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
18. जिन खिलाडीयों की टीमो ने अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया है उन्हें अलग से ट्रायल देने नहीं दिया जाएगा।

**President** **Secretary**

NB|NB|SC
Dr Coyal Khan 9.9.2